विनय कुमार राय एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

(2006 के अपराधिक अपील संख्या 371)

18 अगस्त 2008

(डॉ अरिजीत पसायत और पी सतशिवम, न्यायामूर्तिगण)

दण्ड संहिता 1860-

धारा 302/34- हत्या- दो अभियुक्तगण ने मृतक को पकड़ा और उनके प्रबोधन पर, तीसरे अभियुक्त ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई- घटना गवाहों द्वारा देखी गयी- पहले दो अभियुक्तगण को धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत और तीसरे अभियुक्त को धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत नीचे की अदालतो द्वारा दोष सिद्ध किया गया- उसका औचित्य- अभिनिधार्रित- न्यायोचित- गवाहों का निकट रिश्तेदार या पक्षपाती गवाह होने से उनके साक्ष्य को अमान्य नही किया जाना चाहिए- अभियोजन पक्ष के गवाह और चश्मदीद गवाह की साक्ष्य ने घटना की पृष्टि की, इस प्रकार धारा 34 लागू होगी- इसके अलावा चिकित्सीय साक्ष्य एवं चाक्षुष साक्ष्य में भी किसी प्रकार की

विसंगति नही है- आयुध अधिनियम की धारा 27। साक्ष्य अधिनियम 1872

धारा 3- संबंधित गवाह- गवाही- साक्षात्मक मूल्य- अभिनिर्धारित- संबंध किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नही है।

चिकित्सीय साक्ष्य बनाम चाक्षुष साक्ष्य- उनके बीच विसंगति- अभियोजन मामलें पर प्रभाव

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, एनके और अपीलकर्ताओं ए1, ए2, ए3 के बीच दुश्मनी थी- उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब एनके अपने खेतों में गया था, अपीलकर्ता उनके वहां आये। ए1 और ए3 ने एनके को पकड लिया और ए2 को एनके पर गोली चलाने के लिए प्रबोधित किया- ए2 ने एनके की कनपट्टी पर गोलियां मारी, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई। उसके बाद अपीलकर्ता भाग गये। एनके की चिल्लानें की आवाज को सुनकर, पीडब्ल्यू 7 एनके के पिता और उसका भतीजा पीडब्ल्यू 4 घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होने पूरी घटना देखी। एफआईआर दर्ज करवायी गयी। धारा 302/34 आईपीसी और धारा 27 आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया एवं अन्वेषण किया गया। गवाहो से पूछताछ की गयी। ट्रायल कोर्ट ने ए1 और ए3 को धारा 302/34 आईपीसी और ए2 को भी धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कठोर कारावास की

सजा दी गई साथ ही आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत ए2 को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। व्यथित अपीलकर्ताओं ने इस आधार पर अपील दायर की कि चिकित्सा साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बीच विसंगति थी और चश्मदीद गवाह मृतक से संबंधित थे। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की सजा को बरकरार रखा इसलिए वर्तमान अपील हैं।

न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करते हुये अभिनिर्धारित किया गया।

1.1 केवल इसलिये कि चश्मदीद गवाह परिवार के सदस्य है, उनके साक्ष्य को खारिज नही किया जा सकता है। जब हितबद्वता का आरोप लगता है तो उसे स्थापित करना ही पडता है। केवल यह कथन कि मृतक के रिश्तेदार होने के कारण वे अभियुक्त को झूठा फंसा सकते है, उन साक्ष्यों को खारिज करने का आधार नही हो सकता, जो ठोस और विश्वसनीय है। किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने के लिए रिश्ता कोई कारक नही है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिश्ता वास्तविक अपराधी को नही छुपाता और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नही लगाता। अगर गलत आरोप लगाने की दलील दी गई तो नींव रखनी होगी। ऐसे मामलों में अदालत को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना पडता है और साक्ष्य का विश्लेषण करके यह पता लगाता है कि क्या यह ठोस और

विश्वसनीय है। (पेरा 6) (152,ई-जी)

1.2 गवाहों का पीडितों से कोई संबंध न होने पर अत्यधिक जोर देने के परिणामस्वरूप अक्सर आपराधिक न्याय खत्म हो जाता है। जब किसी आवासीय घर में कोई घटना घटित होती हैै तो सबसे स्वाभाविक गवाह उस घर के निवासी होंगे। ऐसे प्राकृतिक गवाहों की उपेक्षा करना और बाहरी व्यक्ति पर जोर देना अव्यवहारिक है जिसने कुछ भी नही देखा होगा। यदि न्यायालय ने साक्ष्यों से यहा तक कि निर्णय लिया है। जांच रिकार्ड से पता चलता है कि किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति ने संबंधित घटना से जुडी किसी घटना को देखा है, तो अभियोजन गवाह के रूप ऐसे व्यक्ति की जांच न करने के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणीयां करने का औचित्य है। अन्यथा केवल अनुमान के आधार पर अदालत को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में इलाके के अन्य व्यक्तियों की जांच नही करने के लिए अभियोजन पक्ष को फटकार नही लगानी चाहिए। अभियोजन पक्ष से केवल उन लोगों की जांच करने की उम्मीद की जा सकती है जिन्होने घटनाओं को देखा न कि उन लोगों से जिन्होने घटना को नही देखा है, हालांकि पडौस अन्य निवासियों से भी भरा हो सकता है। (पैरा 13) (154,जीएच;155,ए-सी)

1.3 वर्तमान मामलें मे, इस आधार पर कि गवाह एक करीबी रिश्तेदार है और परिणामस्वरूप पक्षपातपूर्ण गवाह है, पर भरोसा नही किया जाना चाहिए, स्वीकार नही किया जा सकता। पीडब्ल्यू 4 और 7 ने अपने

साक्ष्य में पीडब्ल्यू 5 आैर 6 की उपस्थिति के बारे में बताया है। पीडब्ल्यू 1 ने अपने बयान में घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति के बारे में बताया है। यद्यपि अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा यह दलील दी गयी थी कि पीडब्ल्यू 1 के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के संस्करण पर संदेह पैदा करते है, यह ध्यान दिया जाना कि पीडब्ल्यू 1 ने कभी भी चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। पीडब्ल्यू और प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ कि आरोपी ए3 और ए1 ने मृतक को पकड लिया और उनके प्रबोधन पर अपीलकर्ता ए2 ने गोली चला दी। इसलिए धारा 34 लागू होती है। (पैरा 9 और 14) (153,एफ;155,सी-ई)

दलीपसिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1953 एससी 364; गुलीचंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1974(3) एससीसी 698; वडिवेलुथेवर बनाम मद्रास राज्य एआईआर 1957 एससी 614; मसल्टी और अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एआईआर 1965 एससी 202; पंजाब राज्य बनाम जागीरसिंह एआईआर 1973 एससी 2407; लेहना बनाम स्टेट आॅफ हरियाणा 2002 (3) एससीसी 76; गंगाधर बेहरा और अन्य बनाम उडीसा राज्य 2002(8) एससी 381; बाबुलाल भगवान खंडारे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005(10) एससी 404; सलीमसाहब बनाम स्टेट आॅफ मध्यप्रदेश 2007(1) एससीसी 699 राजस्थान राज्य बनाम तेजाराम व अन्य एआईआर 1999 एससी 1776 का उल्लेख किया है।

1.4 चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताई गयी बातों के अनुरूप थे हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों द्वारा इस्तेमाल की गयी अभिव्यक्ति का काल्पनिक तरीके से विश्लेषण नही किया जा सकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि चिकित्सीय साक्ष्य, चाक्षुष साक्ष्य के विपरित है। (पैरा15) (155,एफ)

केस कानून संदर्भ

एआईआर 1953 एससी 364	संदर्भित	पैरा7
1974(3)एससीसी 698	संदर्भित	पैरा8
एआईआर 1957 एससी 614	संदर्भित	पैरा8
एआईआर 1965 एससी 202	संदर्भित	पैरा10
एआईआर 1973 एससी 2407	संदर्भित	पैरा11
2002(3)एससीसी 76	संदर्भित	पैरा11
2002(8)एससीसी 381	संदर्भित	पैरा11
2005(10)एससीसी 404	संदर्भित	पैरा12
2007(1)एससीसी 699	संदर्भित	पैरा12
एआईआर 1999 एससी 1776	संदर्भित	पैरा13

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार- 2006 की आपराधिक अपील संख्या 371

पटना उच्च न्यायालय के 2002 की आपराधिक अपील संख्या 71 मे पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 18.08.2005 से

साथ में

फौजदारी मूल संख्या 2006 की संख्या 382

अपीलकर्ताओं की ओर से नगेन्द्र राय, राजीव सिंह, अंशुलराज और राजेश प्रसाद सिंह।

प्रत्यर्थियों---- की ओर से गोपाल सिंह और अनुकुल राज

न्यायालय द्वारा न्यायामूर्ति डॉ अरिजीत पसायत ने निर्णय पारित किया।

1- इन अपीलों में चुनौती है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में " आई पी सी") की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिये अपीलकर्ताओ की सजा को बरकरार रखते हुए पटना उच्च न्यायालय की एक डिविजन बैंच के फैसले में अभियुक्त अजीत कुमार राय उर्फ अजीत नारायण राय और विनय कुमार राय, 2006 की आपराधिक अपील 371 में अपीलकर्ता नम्बर 1 और अन्य आपराधिक अपील में

अपीलकर्ता आशुतोष कुमार राय उर्फ संजय कुमार राय। आशुतोष कुमार राय पर आई पी सी की धारा 302 और आयुध अधिनियम 1959 की धारा 27 के तहत नंद कुमार की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने अपीले खारिज कर दी। वर्तमान अपीले विनय कुमार राय (ए 3) और अजीतकुमार राय उर्फ अजीत नारायण राय (ए 1) और आशुतोष कुमार राय (ए 2) द्वारा दायर की गई थी। सेशन विचारण संख्या 578/96 और 1/2001 में पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त न्यायालय संख्या 1, फास्ट ट्रेक कोर्ट ने अजीत कुमार राय और विनय कुमार राय को धारा 302 सपठित धारा 34 आई पी सी के तहत दोषी ठहराया और आशुतोष कुमार राय को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। उन्हे आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत भी दोषी पाया गया और तीन साल के लिये कठोर कारावास से गुजरने की सजा सुनाई गयी। उच्च न्यायालय के समक्ष दो अपीले दायर की गई, जिसमें अपेक्षित निर्णय के द्वारा उसे खारिज कर दिया। सभी आरोपियों पर आई पी सी की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिये अपनी सामान्य इरादें को आगे बढाने के लिये नंद कुमार सिंह (इसके बार मृतक के रूप में संदर्भित) की हत्या करने के लिये मुकदमा चलाया गया था।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार विश्वनाथ सिंह (पी डब्ल्यू 7) द्वारा

पुलिस के समक्ष दी गयी रिपोर्ट दिनांक 26.07.1996 को दोपहर 1.10 बजे के अनुसार, लगभग 12 बजे, जब वह और उनका पुत्र नंद कुमार सिंह घर के बरामदे में बैठे थे मृतक यह पूछने के लिये खेत में गया था कि जमीन की जुताई की गई है या नही, उसे वहा ट्रेक्टर नहीं मिला और जब वह लौट रहा था तो उसने अपीलकर्ताओं को देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर सच्चिदानन्द सिंह (पी डब्ल्यू 4) सूचनाकर्ता के साथ वहां पर पहुंचे और पाया कि अपीलकर्ता विनय कुमार राय और अजीत कुमार राय उर्फ अजीतनारायण राय ने उसके पुत्र को पकड लिया था और अपीलार्थी आशुतोष कुमार राय उर्फ संजय कुमार राय ने उनकी दाहिनी कनपट्टी पर पिस्तोल रख दी। जैसे ही उन्होने उसे और सच्चिदानंद सिंह को देखा, अपीलार्थी विनय कुमार और अजीत कुमार राय उर्फ अजीत नारायण राय ने गोली चलाने के लिये प्रबोधित किया। जिस पर अपीलार्थी आशुतोष कुमार राय उर्फ संजय कुमार राय ने अपने बेटे की कनपट्टी पर गोली मार दी। चोट लगने से उसका बेटा नीचे गिर गया और सभी अपीलकर्ता पिस्तोल लहराते हुए भाग गये। जब सूचनाकर्ता और उसका भतीजा सच्चिदानंद सिंह वहां पर पहुंचे तो कनपट्टी के उपर चोट देखी और तुरंत उसे रिक्शा में बैठा कर सरकारी अस्पताल सासाराम लेकर आये, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त सूचना के आधार पर सासाराम (एम)पी.एस.1996 का केस नम्बर 386 आई पी सी की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज किया गया था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना का कारण चकबंदी निदेशक के समक्ष मुकदमे का लंबित रहना हैं।

पुलिस ने अनुसंधान के बाद, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपपत्र प्रस्तुत किया और अन्त में उन्हे सत्र न्यायालय में भेज दिया गया, जहां अभी अपीलकर्ताओ पर आई पी सी की धारा 302/34 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। जबकि अपीलकर्ता आशुतोष कुमार राय उर्फ संजय कुमार राय पर आगे आरोप लगाये गये। आई पी सी की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिये अपीलकर्ताओ ने कोई भी अपराध करने के लिये इन्कार किया और पिछली दुश्मनी के कारण झूठे आरोप लगाने का अनुरोध किया और एक ने अपना बचाव यह किया कि मृतक को उसी दिन दोपहर लगभग 12 बजे राम नगीना सिंह के घर के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आग्नेयास्त्र से मार दिया गया था।

आरोपों को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहान से पूछताछ की, जिसमें से सच्चिदानंद (पी डब्ल्यू 4), सुनिलकुमार सिंह (पी डब्ल्यू 5), श्री कांत सिंह (पी डब्ल्यू 6), विश्वनाथ सिंह (पी डब्ल्यू 7) ने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। अंतिम नामित व्यक्ति सूचनाकर्ता था। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिये आरोपियों ने चार गवाहान परिक्षित करवाए। ट्रायल कोर्ट ने चश्मदीदों के सबूतों पर विश्वास किया

और आरोपी को दोषी पाया।

3. अपील में, यह प्रस्तुत किया गया था कि चिक्तिसा साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बीच विसंगति थी और इसलिये, अभियोजन पक्ष के कथनों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। प्राथमिक दृष्टिकोण चिकित्सीय साक्ष्य और चाक्षुष साक्ष्य के बीच कथित विसंगति और चश्मदीद गवाहों के मृतक से सम्बंधीत होने के सम्बंध में थें। उच्च न्यायालय ने इनमें से किसी भी पक्ष में कोई तथ्य नहीं पाया और अपील खारिज कर दी।

4. इन अपीलों में उच्च न्यायालय के समक्ष अपनाये गये रूख को दोहराया गया था। अपीलकर्ताओ के विद्वान वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला की यह असामान्य है कि चश्मदीद गवाह जो मृतक के करीबी रिश्तेदार है, उन्होने मृतक को हमलावरों से बचाने के लिये हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के निष्कर्षो के सन्दर्भ में बताया की गवाहों ने कहा है कि उन्होने घटना को लगभग 15 से 20 गज की दूरी से देखा था। उन्होने कहा था की घटनास्थल पर पहुचनें से पहले ही मृतक की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इसलिये मृतक की जान बचाने के लिये हस्तक्षेप करने का सवाल ही नहीं उठता।

6. केवल इसीलिये कि चश्मदीद गवाह परिवार के सदस्य है उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। जब हितबद्वता का आरोप लगता है तो उसे स्थापित करना ही पडता है। केवल यह कथन कि मृतक के रिश्तेदार होने के कारण वे अभियुक्त को झूठा फंसा सकते है, उन साक्ष्यों को खारिज करने का आधार नही हो सकता जो ठोस और विश्वसनीय है। हम अभियोजन कहानी को आगे बढाने के लिय गवाहान की हितबद्वता सम्बंधित विवाद से भी निपटेंगे। किसी गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने के लिये रिश्ता कोई कारक नहीं है। यह अक्सर होता है कि कोई रिश्ता वास्तविक अपराधी को नही छुपाता और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नही लगाता। अगर गलत आरोप लगाने की दलील दी गई तो नींव रखनी होगी। ऐसे मामलों में अदालत को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना पडता है और साक्ष्य का विश्लेषण करके यह पता लगाता है कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है।

7 दलीपसिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (ए आइ आर 1953 एस सी 364) में निम्नानुसार निर्धारित किया गयाः-

> "एक गवाह को आम तौर पर तब तक स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह ऐसे स्त्रोंतो से नहीं आता है जिसके दागी होने की सम्भावना हैं और इसका आम तौर पर मतलब यह हैं कि जब तक गवाह के पास कोई कारण

नहीं हैं, जैसे कि आरोपी के खिलाफ दुश्मनी उसे झूठा फंसाने की इच्छा। आम तौर पर एक करीबी वास्तविक अपराधी को दिखाने और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने के लिये सम्बंध अंतिम होगा। यह सच है, जब भावनाएं चरम पर होती है और दुश्मनी का व्यक्तिगत कारण होता है, तो एक निर्दोष व्यक्ति को घसीटने की प्रवृति होती हैं जिसके खिलाफ एक गवाह होता हैं दोषी के साथ साथ एक शिकायत भी है, लेकिन ऐसी आलोचना के लिये नींव रखी जानी चाहिए और नींव से कोसो दूर रिश्ते का तथ्य अक्सर सच्चाई निश्चित गारंटी है" हालांकी, हम किसी व्यापक सामान्यीकरण का प्रयास नहीं कर रहे है। प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। हमारी टिप्पणीयां केवल विवेक के एक सामान्य नियम के रूप में हमारे सामने आने वाले मामलों में अक्सर सामने आने वाली बातों का मुकाबला करने के लिये की जाती हैं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए और उनके द्वारा शासित होना चाहिए।

8. उपरोक्त निर्णय का पालन गुलीचंद एवं अन्य बनाम राजस्थान

राज्य (1974 (3)एस सी सी 698) मे किया गया है। जिसमें वडीवेलू खेवर बनाम मद्रास राज्य (ए आई आर 1957 एस सी 614) ई पर भी भरोसा किया गया था।

9. हम यह भी देख सकते हैं कि इस आधार पर कि गवाह एक करीबी रिश्तेदार हैं और परिणामस्वरूप एक पक्षपातपूर्ण गवाह हैं, उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, इसमें कोई दम नहीं हैं। इस सिद्वान्त को दलिप सिंह के मामले में ही इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसमें इस धारणा पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था। बार के सदस्यों के मन में यह बात घर कर गई कि रिश्तेदार स्वतंत्र गवाह नहीं है।विवियन बोस, जे.के द्रारा निम्न रूप से कहा गया हैं किः-

> "हम उच्च् न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत होने में असमर्थ है कि दो चश्मदीद गवाहों की गवाही की पुष्टि की आवश्यकता है। यदि इस तरह के अवलोकन की नींव इस तथ्य पर आधारित है कि गवाह महिलाएं हैं और सात पुरूषों का भाग्य उनकि गवाही पर निर्भर है, हम ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं जानते। यदि यह इस कारण पर आधारित है कि उनका मृतक से गहरा संबंध है तो हम सहमत होने में असमर्थ है। यह कई आपराधिक मामलों में आम बात है और जिसे इस न्यायालय की एक अन्य पीठ

ने 'रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य' (एआईआर 1952 एससी 54 पृष्ठ 59 पर) में दूर करने का प्रयास किया। हालांकि, हम पाते है कि दुर्भाग्य से यह भी अभी कायम है, अगर अदालतों के फैसलो में नही, तो किसी भी दर पर वकील की दलीलों में।''

10. फिर से मसल्टी और अन्य में उत्तरप्रदेश राज्य (एआईआर 1965 एससी 202), इस न्यायालय ने कहा: (पृष्ठ 209 से 210 पैरा 14):

''लेकिन हमारा मानना है कि यह तर्क देना अनुचित होगा कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि वह पक्षपातपूर्ण या इच्छुक गवाहों का साक्ष्य है..... एकमात्र आधार पर ऐसे साक्ष्य कि यांत्रिक अस्वीकृति यह पक्षपातपूर्ण है कि यह हमेशा न्याय की विफलता का कारण बनेगा। सबूतों की कितनी सराहना की जानी चाहिए, इसके बारे में कोई सख्त नियम नही बनाया जा सकता है। न्यायिक दृष्टिकोण के ऐसे सबूतों से निपटने के लिए सतर्क रहना होगा लेकिन दलील यह है कि ऐसे सबूतों की सराहना की जानी चाहिए। इसे पक्षपातपूर्ण होने के कारण अस्वीकार

कर दिया गया है, इसे सही नही माना जा सकता।''

11. इसी प्रभाव के लिए पंजाब राज्य बनाम जागीरसिंह (एआईआर 1973 एससी 2407), लहना बनाम जागीरसिंह (एआईआर 1973 एससी 2407) हरियाणा राज्य (2002(3)एससी 76) और गंगाधर बेहरा और अन्य, उडीसा राज्य (2002(8)एससी 381) में निर्णय है।

12. बाबूलाल भगवान खंडारे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005(10) एससी 404) और सलीम साहिब बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2007(1)एससी 699)में भी उपरोक्त स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

13. गवाहों का पीडितों से कोई संबंध नहीं होने पर अत्यधिक जोर देने के परिणामस्वरूप अक्सर आपराधिक न्याय खत्म हो जाता है। जब किसी आवासीय घर में कोई घटना घटित होती हैं तो सबसे स्वाभाविक गवाह उस घर के निवासी होगें ऐसे प्राकृतिक गवाहों की उपेक्षा करना और बाहरी लोगों पर जोर देना अव्यवहारिक है, जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा होगा। साक्ष्य या यहां तक कि जांच रिकार्ड से भी किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति ने संबंधित घटना से जुडी किसी घटना को देखा है, तो अभियोजन गवाह के रूप में ऐसे व्यक्ति की जांच न करने के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणीयां करने का औचित्य है। अन्यथा केवल अनुमानों के आधार पर अदालत को अभियोजन पक्ष के गवाहाे के रूप में इलाके के अन्य

व्यक्तियों की जांच नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष को फटकार नहीं लगानी चाहिए। अभियोजन पक्ष से केवल उन लोगो की जांच करने की उम्मीद की जा सकती हैं जिन्होने घटनाओं को देखा हैं न कि उन लोगो से जिन्होने इसे नहीं देखा हैं, हालाकिं पडौस अन्य निवासीयों से भी भरा हो सकता है। (देखेः राजस्थान राज्य बनाम तेजाराम और अन्य। (एआई आर 1999 एससीसी 1776))।

14. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पी डब्ल्यू 4 व 7 ने अपने साक्ष्य में पी डब्ल्यू 5 व 6 की उपस्थिति के बारे में कहा है। दिलचस्प बात यह हैं कि राजकुमार सिंह (पीडब्ल्यू 1) ने अपने बयान में घटना स्थल पर उनकी उपस्थिती के बारे में भी बताया हैं। हालांकि अपीलकर्ताओ के विद्वान वकील ने यह दलील दी थी कि पी डब्ल्यू 1 के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के कथनों के बारे में संदेह पैदा करते हैं, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पी डब्ल्यू 1 ने कभी भी चश्मदीद गवाह होने का दावा नहीं किया। पीडब्ल्यू और प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि आरोपी अजीतकुमार राय और विनय कुमार राय ने मृतक को पकड़ लिया और उनके प्रबोधित पर अपीलार्थी आशुतोष ने मृतक पर गोली चला दी। इसलिए, धारा 34 लागू होती है।

15. चाक्षुष साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कथित विसंगति की बात करे तो जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है, कोई विसंगति

नहीं थी। चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट रूप से चश्मदीद गवाहों द्वारा कही गयी बातों के अनुरूप थे। उच्च न्यायालय ने कहा है कि गवाहों द्वारा इस्तेमाल की गयी अभिव्यक्ति का काल्पनिक तरीके से विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बन्दूक की गोली दाहिनी कनपट्टी पर लगी थी, लेकिन चोट उत्तरी पलक पर और दाहिनी आॅरिकल मार्जिन पर एवर्ट घाव पाया गया। इसलिए, यह कभी नहीं कहा जा सकता कि चिकित्सीय साक्ष्य चाक्षुष साक्ष्य के विपरीत है।

16. किसी भी दृष्टिकोण से देखें, अपील में कोई बल या गुण नहीं हैं और खारिज करने लायक हैं, जिसका हम निर्देश देते हैं।

अपीले खारिज की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विश्व बंधु (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।